



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102021-230728
CG-DL-E-26102021-230728

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943

No. 509]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2021

फा.सं.एनसीटीई-रेगु011/80/2018-एमएस(विनियमन)-मुख्यालय.-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) की धारा 32 की उप-खंड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

1. लघु शीर्ष और प्रवर्तन - (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) संशोधित विनियम, 2021 कहलाएंगे।
2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 (यहां प्रमुख विनियम के रूप में संदर्भित) में खंड (ग) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

“(गक) “बहु-विषयक संस्थान” का अर्थ एक विधिवत मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान है जिसमें अध्ययन के कई अलग-अलग विषय शामिल हैं / एक से अधिक विषयों को सम्मिलित करना या शामिल करना हैं। बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का उद्देश्य शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा, जो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में अत्याधुनिक अनुसंधान करने के अलावा, अन्य विभागों या स्वतंत्र कला या मानविकी या सामाजिक विज्ञान या वाणिज्य या गणित के क्षेत्र के सहयोग से एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाएगा, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए आवेदन करते समय, जैसा भी मामला हो।

(गख) “एनईपी 2020” का अर्थ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

4. मूल विनियम में, विनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

4 वार्षिक एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के लिए मानदंड और मानक**1. प्रस्तावना:**

1.1 अध्यापक को शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। आईटीईपी सीनियर सेकेंडरी (+2) या इसके समकक्ष परीक्षा के बाद या स्कूली शिक्षा के एनईपी 2020 संरचना 5+3+3+4 के अनुसार संचालित किया जाएगा। यह शिक्षकों को सशक्त बनाने और यथासंभव प्रभावी ढंग से अपना काम करने में उनकी मदद करने के लिए सब कुछ एकीकृत करता है। इसके अलावा, विषयगत तथा व्यावसायिक ज्ञान के एकीकरण से (5+3+3+4) पर शिक्षण व्यवसाय के लिए उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती की आवश्यकता की पूर्ति होती है।

1.2 आईटीईपी कार्यक्रम में एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन परिकल्पना के अनुसार अध्यापकों को तैयार करने पर जोर दिया गया है। देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए अध्यापकों को तैयार करने के अलावा, विभिन्न विषयों में प्राप्त विषयगत ज्ञान से छात्र-अध्यापकों को उनके विशिष्ट विषय (विषयों) में गहन ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो उस विषयगत धारा में उच्च अध्ययन में प्रवेश लेने और उच्च व्यावसायिक योग्यता के लिए सुनिश्चित करेगा।

1.3 आईटीईपी का उद्देश्य छात्र-अध्यापकों को एकीकृत तरीके से व्यावसायिक ज्ञान के साथ विषयगत ज्ञान प्रदान करने का दोहरा उद्देश्य है। चूंकि, यह कार्यक्रम स्नातक उपाधि (बी.एससी./बी.ए./बी.कॉम.) और अध्यापक शिक्षा डिग्री के समकक्ष होगा, इसलिए कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में दोनों उपाधियों के लिए आवश्यक विभिन्न पाठ्यक्रम और गतिविधियां शामिल हैं।

1.4 बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तावित आईटीईपी (इसके बाद 'एचआईआई' के रूप में संदर्भित) स्कूल अध्यापकों के लिए न्यूनतम उपाधि योग्यता होगी। आईटीईपी एक दोहरी प्रमुख समग्र स्नातक उपाधि होगी। यह कार्यक्रम अध्यापकों को पुनर्संरचना के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना के लिए तैयार करेगा, जिससे वे माध्यमिक 5+3+3+4 डिजाइन द्वारा निर्देशित मौलिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक जैसे चरणों के अनुरूप, उनके विकास के विभिन्न चरणों में शिक्षार्थियों की विकास आवश्यकताओं और हितों के लिए उत्तरदायी और प्रासंगिक बन सकेंगे।

1.5 आईटीईपी बहु और अंतर-विषयगत शैक्षणिक वातावरण में होगा और पायलट मोड में शुरू करके चरणबद्ध तरीके से इसको कार्यान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम विश्वविद्यालय/एचआईआई के अन्य विभागों के मौजूदा भौतिक संसाधनों को साझा करने की अनुमति देगा। आईटीईपी का स्वामित्व बहु-विषयक एचआईआई के शिक्षा विभाग के पास होगा। सभी एकल अध्यापक शिक्षा संस्थानों (इसके बाद 'टीईआई' के रूप में संदर्भित) को आईटीईपी के संचालन के लिए पात्र बनने हेतु 2030 तक बहु-विषयक संस्थानों में परिवर्तित होने की आवश्यकता होगी।

1.6 एचआईआई द्वारा शैक्षणिक वर्ष पूरा होने के 1 (एक) महीने के भीतर एनसीटीई द्वारा निर्धारित आईटीईपी के लिए विशेष रूप से तैयार प्रारूप, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। एनसीटीई द्वारा तैयार एक उपयुक्त प्रोफार्मा के आधार पर निरीक्षण भी किया जाएगा, जिससे मान्यता के विस्तार/वापसी का निर्धारण तैयार हो सकेगा।

1.7 मूल विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (5) और (6) में किए गए प्रावधान के अनुसार आवेदन आमंत्रित करने और उनपर कारवाई करने हेतु निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाएगा। यदि आवश्यक समझा जाता है, तो विनियम 5 के उप-विनियम (5) और (6) के तहत दी गई समय सीमा में उचित विचार करने और केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद छूट दी जा सकती है।

1.8 आईटीईपी को बहु-विषयक एचआईआईएस/टीईआई में पायलटिंग से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा और इस प्रकार एनईपी 2020 की समय सीमा के अनुसार देशव्यापी विस्तार किया जाएगा।

1.9 एनईपी 2020 के साथ संबद्ध यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता संरचना में अंतिम रूप से निर्धारित आईटीईपी में निकास प्रणाली लागू होगी।

2. अवधि और कार्य दिवस:**2.1 अवधि:**

आईटीईपी चार शैक्षणिक वर्षों का होगा जिसमें इंटर्नशिप (क्षेत्र-आधारित अनुभव और अभ्यास शिक्षण) सहित आठ सेमेस्टर शामिल होंगे। कोई भी छात्र-अध्यापक जो किसी भी सेमेस्टर को पूरा करने में असमर्थ रहता है या किसी सेमेस्टर की अंतिम

परीक्षा में शामिल नहीं हो सका हो तो उसे कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम छः साल की अवधि के भीतर कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

2.2 कार्य दिवस:

- (क) एक सेमेस्टर में, प्रवेश की अवधि को छोड़कर, लेकिन परीक्षाओं की अवधि सहित कम से कम 125 (एक सौ पच्चीस) कार्य दिवस होंगे।
- (ख) कुल काम के घंटे कम से कम 40 (चालीस) घंटे होंगे जो एक सप्ताह के अन्तर्गत होंगे।
- (ग) छात्र-अध्यापकों की न्यूनतम उपस्थिति सभी पाठ्यक्रमों में अस्सी प्रतिशत और क्षेत्र-आधारित अनुभव या स्कूल इंटर्नशिप या शिक्षण अभ्यास के लिए अलग से नब्बे प्रतिशत होनी चाहिए।

3. दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क:

3.1 दाखिला क्षमता :

- क) मूल इकाई के कार्यक्रम में प्रत्येक में पचास छात्र शामिल होंगे।
- ख) संस्थान को कला वर्ग या विज्ञान वर्ग या वाणिज्य वर्ग में से एक या अधिक वर्ग चुनने की अनुमति होगी। उपयुक्त होने पर संस्थान को एक या अधिक इकाइयों को चुनने की भी अनुमति दी जाएगी, यदि संस्थान इसके लिए पात्र है।

3.2 पात्रता:

- क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या प्लस टू परीक्षा या इसके समकक्ष (5+3+3+4 पद्धति के तहत) में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र हैं।
- ख) सीनियर सेकेंडरी या प्लस टू परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा (5+3+3+4 पद्धति के तहत) और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग व्यक्तियों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कोई भी अन्य वर्ग के लिए आरक्षण में अंकों के प्रतिशत में छूट केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के नियमों के अनुसार होगी, जहां लागू हो।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया:

- क) आईटीईपी में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (इसके बाद एनटीए के रूप में संदर्भित) द्वारा आयोजित एक उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षा के माध्यम से होगा और देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जाएगा।
- ख) एनईपी 2020 की संस्तुतियों के तहत 4 वर्षीय आईटीईपी में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा (बाद में 'एनसीईटी' के रूप में संदर्भित) नामक एक राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का तरीका ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित/बहुभाषी पद्धति में (बाद में 'सीबीटी' के रूप में संदर्भित) और इसका स्कोर प्रवेश सुरक्षित करने के लिए योग्यता-आधारित चयन के लिए अभ्यर्थी के सापेक्ष योग्यता स्तर को प्रदर्शित करेगा। एनटीए द्वारा स्कोरकार्ड तैयार किया जाएगा और प्रवेश केंद्रीकृत ऑनलाइन परामर्श के माध्यम से किया जाएगा।
- ग) कार्यक्रम में प्रवेश के समय, अभ्यर्थी को विषयों/विषयवर्गों (बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड./बी.कॉम. बी.एड.) का संकेत देना होगा। विषय के चयन में कोई भी परिवर्तन कार्यक्रम के प्रारंभ होने की तिथि से एक माह के भीतर किया जाएगा।

3.4 शुल्क:

संस्थान केवल वही शुल्क लेगा जो संबद्ध निकाय या राज्य सरकार या संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (शिक्षण शुल्क के विनियमन के लिए दिशानिर्देश और गैर-सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रभारित अन्य शुल्क) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। विनियम, 2002 और छात्रों से अंशदान, कैपिटेशन शुल्क आदि नहीं लिया जाएगा।

4. पाठ्यचर्या और कार्यक्रम कार्यन्वयन:

4.1 पाठ्यक्रम और कार्यक्रम का कार्यान्वयन एनसीटीई द्वारा विकसित मॉडल/सूचनात्मक पाठ्यचर्या पर आधारित होगा। हालांकि, इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मॉडल/सूचनात्मक पाठ्यचर्या को अनुकूलित या संशोधित करते समय 30 प्रतिशत नम्यता की अनुमति होगी। तथापि, एनसीटीई

के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि आवश्यक समझे तो किसी भी स्तर पर इस प्रकार अनुकूलित या संशोधित पाठ्यचर्या में किसी भी संशोधन को वैधित किया जा सकता है। पाठ्यचर्या संरचना और महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, ताकि मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान (एच ई आई)/सम्बद्धकारी संस्था उसको उपयोग में ला सकें।

4.2 एचईआई को आईटीईपी के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

(क) स्कूल कैलेंडर तैयार करना जिसमें स्कूल इंटर्नशिप और स्कूल से संबंधित अन्य अभ्यास स्कूल के अकादमिक कैलेंडर के साथ समकालिक किए जाते हैं।

(ख) 18 सप्ताह की इंटर्नशिप के स्कूल की सम्बद्धता के लिए आवश्यक अन्य व्यावहारिक गतिविधियों पर्याप्त स्कूलों के साथ, की व्यवस्था करना। ये स्कूल प्राथमिकता से सरकारी स्कूल होंगे और अध्ययन के पूरे कार्यक्रम में सभी व्यावहारिक गतिविधियों और संबंधित कार्यों के लिए बुनियादी संपर्क बिंदु होंगे। विभिन्न एचईआई को स्कूलों के आवंटन के लिए राज्य शिक्षा प्रशासन को शामिल किया जाना चाहिए।

(ग) क्षेत्र के स्कूलों और एचईआई के बीच एक समन्वय तंत्र सुनिश्चित करना। सरकार को स्कूल कैलेंडर के अनुरूप विभिन्न स्कूलों में छात्र-अध्यापकों का तर्कसंगत और उचित वितरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि स्कूल सहायता और सहयोग प्रदान किया जा सके।

(घ) स्कूल इंटर्नशिप से संबंधित प्रक्रियाओं में, इंटर्नशिप स्कूलों के स्कूली अध्यापकों को शामिल करने के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करना। इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत के साथ एक अभिविन्यास की योजना बनाई जा सकती है, जहां संस्थान/कॉलेज/विभाग के संकाय स्कूल अध्यापकों (संरक्षक अध्यापकों) के साथ विचार-विमर्श करते हैं।

(ङ) कई दिनों के पूरे कार्यक्रम में क्षेत्र में कम से कम 6 सप्ताह तक काम सुनिश्चित करना। इसमें शिक्षण और प्रतिक्रिया आदि के अनुभव के साथ-साथ स्कूल और कक्षा की एक एकीकृत तस्वीर और धारणा विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्कूलों में 4 सप्ताह की व्यस्तता और समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए 2 सप्ताह का कार्यक्रम शामिल होगा।

(च) छात्र-अध्यापकों और संकाय के लिए सेमिनार, वाद-विवाद, व्याख्यान और सामूहिक चर्चा का आयोजन करके शिक्षा पर गहन विमर्श शुरू करना।

(छ) शैक्षिक महत्व के विषयों पर विभिन्न कॉलेजों के बीच छात्र-अध्यापकों के लिए अंतर-संस्थागत विचार-विमर्श का आयोजन और अन्य संस्थानों में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी।

(ज) छात्र-अध्यापकों को कौशल-उन्मुख पाठ्यक्रमों में चिंतनशील सोच और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने में मदद करने के लिए एक सहभागी शिक्षण दृष्टिकोण अपनाना।

(झ) छात्र-अध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक पत्रिकाओं और अवलोकन रिकॉर्ड सुगम बनाने हेतु सुविधा प्रदान करना जो चिंतनशील सोच के अवसर प्रदान करते हैं।

(ट) छात्र अध्यापकों द्वारा तैयार की गई योजना, अवलोकन कार्यक्रम, प्रतिक्रिया और प्रतिबिंबित रिपोर्ट के रिकॉर्ड बनाए रखना।

(ठ) संकाय विकास के लिए अवसर प्रदान करना और संकाय के व्यावसायिक विकास के लिए शैक्षणिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना। संकाय को शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने और अनुसंधान करने के लिए विशेष रूप से स्कूली शिक्षा में प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.3 आकलन और मूल्यांकन:-

एनसीटीई द्वारा विकसित सुझावयुक्त पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार मूल्यांकन पद्धति का अनुपालन किया जाएगा।

5. स्टाफ

5.1 संकाय:

पचास छात्रों की एक बुनियादी इकाई और एक सौ छात्रों की दो इकाइयों के लिए, निर्दिष्ट आवश्यक और वांछनीय योग्यता और विशेषज्ञता के साथ, पाठ्यचर्या क्षेत्रों के लिए संकाय की भर्ती की जाएगी। अतिरिक्त संकाय की नियुक्ति उन प्रावधानों के अन्तर्गत की जाएगी जो नीचे उल्लिखित पाठ्यचर्या क्षेत्रों के लिए संकाय की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

5. In the Principal Regulations,-

(i) Appendix-13 shall be omitted;

(ii) Appendix 14 and 15 shall be renumbered as Appendix-13 and Appendix-14 and after Appendix-13 and Appendix 14 as so renumbered the following Appendix shall be inserted, namely: -

“APPENDIX-15

Norms and Standards for Integrated Teacher Education Programme (ITEP)

1. Preamble:

1.1 The teacher must be at the centre of the fundamental reforms in the education system. The ITEP shall be offered after Senior Secondary (+2) or its equivalent examination or as per NEP 2020 structure 5+3+3+4 of schooling. It integrates everything to empower teachers and help them to do their job as effectively as possible. In addition, the integration of disciplinary and professional knowledge caters to the requirement to recruit the very best and brightest for the teaching profession at all levels (5+3+3+4).

1.2 The ITEP programme emphasizes on preparing teachers as envisaged in Pedagogical and Curricular restructuring of school education under NEP 2020. Apart from preparing teachers for the school education system in the country, the disciplinary knowledge gained in different subjects would help the student-teachers to gain in-depth knowledge in their specific subject(s) which would ensure admission to higher studies in that disciplinary stream and for higher professional qualification.

1.3 The ITEP aims at the dual purpose of providing student teachers disciplinary knowledge along with the professional knowledge in an integrated manner. Since the program will be equivalent to an Undergraduate Degree (B.Sc./B.A./ B.Com.) and Teacher Education Degree, the curriculum of this program includes different courses and activities essential for both the degrees.

1.4 The ITEP offered by multidisciplinary Higher Education Institutions (hereinafter referred to as ‘HEIs’) will be the minimal degree qualification for school teachers. The ITEP will be a dual-major holistic Bachelor’s degree. This programme will prepare teachers for the new curricular and pedagogical structure of school education as reconfigured, to make it responsive and relevant to the developmental needs and interests of learners at different stages of their development, corresponding to the stages like Fundamental, Preparatory, Middle and Secondary guided by the 5+3+3+4 design.

1.5 The ITEP shall be in multi and inter disciplinary academic environment and shall be implemented in a phase-wise manner commencing in a pilot mode. The programme shall permit sharing of existing physical resources of other departments of the university/ HEIs. The ownership of ITEP shall lie with the Education Department of the multidisciplinary HEIs. All stand-alone Teacher Education Institutions (hereafter referred to as ‘TEIs’) will be required to convert into multidisciplinary institutions by 2030 to become eligible to offer the ITEP.

1.6 The annual performance appraisal report shall be submitted by the HEIs, in the customised format for ITEP provisioned by NCTE, within 1 (one) month after completion of the academic year. Inspection shall also be conducted, based on a suitable proforma developed by NCTE, which will determine extension/ withdrawal of recognition.

1.7 The time limits prescribed for inviting and processing of applications as provided in sub-regulations (5) and (6) of regulation 5 of the principal regulations shall be adhered to. If it is considered necessary, the time limits provided under sub-regulations (5) and (6) of regulation 5 may be relaxed after due consideration and after obtaining approval of the Central Government.

1.8 ITEP shall be implemented in a phase wise manner starting from piloting in multidisciplinary HEIs/TEIs and thereby country wide expansion as per NEP 2020 timeframe.

1.9 The exit system shall be applicable in ITEP as finalised in the National Higher Education Qualification Framework by UGC aligned with NEP 2020.

2. Duration and Working Days:

2.1 Duration:

The ITEP shall be of four academic years comprising eight semesters including internship (field-based experiences and practice teaching). Any student-teacher who is unable to complete any semester or appear in any semester-end examination, shall be permitted to complete the programme within a maximum period of six years from the date of admission to the programme.

2.2 Working Days:

- (a) In a semester, there shall be at least 125 (one hundred and twenty-five) working days, excluding the period of admissions but including the period of examinations.
- (b) Total working hours shall be a minimum of 40 (forty) hours to be spread over one week.
- (c) The minimum attendance of student-teachers shall have to be eighty percent in all courses and ninety percent for field-based experience or school internship or teaching practice separately.

3. Intake, Eligibility, Admission Procedure and Fees:**3.1 Intake:**

- a) The basic unit shall comprise of fifty students each in the programme.
- b) The institution shall be permitted to opt for one or more streams of either Arts Stream or Science Stream or Commerce Stream. The institution shall also be permitted to opt for one or more units being appropriate, in case the institution is eligible for the same.

3.2 Eligibility:

- a) Candidates with minimum fifty percent marks in Senior Secondary or plus two examination or its equivalent (under 5+3+3+4 pattern) from a recognised board are eligible for admission.
- b) The relaxation in percentage of marks in the Senior Secondary or plus two examination or its equivalent examination (under 5+3+3+4 pattern) and in the reservation for Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class or Persons with Disabilities or Economically Weaker Section and any other categories shall be as per the rules of the Central Government or State Government or Union Territory Administration, wherever applicable.

3.3 Admission Procedure:

- a) Admission in ITEP shall be through a suitable subject and aptitude test conducted by the National Testing Agency (hereinafter referred to as 'NTA') and shall be standardized keeping in view the linguistic and cultural diversity of the country.
- b) A single nation-wide entrance test called National Common Entrance Test (hereinafter referred to as 'NCET') will be conducted by NTA for admission to the 4 Year ITEP under the recommendations of NEP 2020. The mode of examination shall be online/Computer Based Test (hereinafter referred to as 'CBT') in multilingual pattern and its score would reflect the relative performance level of the candidate for merit-based selection to secure the admission. Scorecard shall be prepared by NTA and admission shall be done through centralised online counselling.
- c) At the time of admission to the programme, the candidate must indicate the subjects/discipline (B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed./B.Com. B.Ed.). Any change in the choice of subjects shall be made within one month from the date of commencement of the programme.

3.4 Fees:

The institution shall charge only such fee as may be prescribed by the affiliating body or State Government or concerned Universities in accordance with provisions of the National Council for Teacher Education (Guidelines for regulation of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002 and shall not charge donations, capitation fee etc. from the students.

4. Curriculum and Programme Implementation:

4.1 The Curriculum and the implementation of the programme shall be based on the Model/Suggestive Curriculum developed by NCTE. However, different universities and institutions conducting this programme will be allowed upto 30% flexibility while adapting or modifying the Model/Suggestive Curriculum as per local requirements. However, NCTE reserves the right to validate any modifications to the Curriculum so adapted or modified at any stage, if felt necessary. Within a time span of 90 (ninety) days, curriculum framework and suggestive syllabus shall be uploaded on NCTE website for adoption /adaptation by the recognised HEIs/Affiliating body.

4.2 The HEIs will have to fulfill the following specific requirements for implementation of ITEP:

- (a) Preparing school calendar in which the school internship and other school related practicum are synchronized with the academic calendar of the school.

- (b) Making arrangement, with enough schools, for 18 weeks internship as well as other practicum activities required for school engagement. These schools will preferably be government schools and will form the basic contact point for all practicum activities and related work throughout the program of study. The state education administration should be involved for the allotment of schools to different HEIs.
- (c) Ensuring a coordinating mechanism between schools and HEIs of the region. The Government must ensure a rational and reasonable distribution of student-teachers in various schools, in consonance with the school calendar, to provide school support and cooperation.
- (d) Developing institutional mechanisms to involve the schoolteachers, of the Internship schools, in processes related to school internship. An orientation may be planned with the commencement of the Internship program, where faculty from the institute/college/department interacts with school teachers (mentor teachers).
- (e) Ensuring work in the field amounting to a minimum of 6 weeks, spread over several days throughout the program. This will include 4 weeks of engagements in different types of schools to develop an integrated picture and perception of school and classroom, along with experience of teaching and feedback etc., and a 2 week program for engagement with the community.
- (f) Initiating and deepening the discourse on education by organizing seminars, debates, lectures and discussion groups for student-teachers and faculty.
- (g) Organizing inter-institutional interactions for student-teachers between various colleges on themes of educational significance and participation in such events organized in other institutions.
- (h) Adopting a participatory teaching approach to help student-teachers to develop reflective thinking and critical questioning in skill-oriented courses.
- (i) Facilitating student-teachers to access quality academic journals and observation records which provide opportunities for reflective thinking.
- (j) Maintaining records of planning, observation schedules, feedback and reflective reports prepared by the student teachers.
- (k) Providing opportunities for faculty development and organizing academic enrichment programs for the professional development of faculty. Faculty shall be encouraged to participate in academic pursuits and pursue research, especially in school education.

4.3 Assessment and Evaluation: -

The evaluation pattern as per the Suggestive Curriculum Framework developed by NCTE would be followed.

5. Staff:

5.1 Faculty:

For an intake of one basic unit of fifty students and two units of one hundred students, faculty shall be recruited for the curricular areas, with the specified essential and desirable qualifications and specialisation. Additional faculty shall be appointed subject to provisions that the faculty requirements for the curricular areas mentioned below are fulfilled.